कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D, Haldwani
(Phone/Fax) : 05946-223352 E-Mail- ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 1465/481 दिनांक 15/05/2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड
देहरादून।।

विषय :– **मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र, लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण(Online Proposal no- FP/UK/ROAD/29571/2017)**

सन्दर्भः– **भारत सरकार का पत्र 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एस0सी0, दिनांक 16.06.2023, इस कार्यालय का पत्रांक– 1883/4सी०, दिनांक 19.07.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी का पत्रांक– 2816/12–1 हल्द्वानी, दिनांक 21.11.2025**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एस0सी0, दिनांक 16.06.2023 में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय एवं प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से ऑनलाईन अपलोड़ की गई थी, प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बन्धित सहायक को अवगत कराया गया है कि उक्त अनुपालन आख्या की हार्ड प्रतियॉ भी प्रेषित की गई है। उक्त अनुपालन आख्या पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया जनहित में उक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

सादर।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

15/05/26
(इं० प्रत्यूष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी

2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 2816 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक 21-11-2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता 2877 ... 46 ... 01/12/25 नि०ख० लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
हल्द्वानी।

विषयः— मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण(Online no.FP/UK/road/29571/2017)

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रांकः 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एफ.सी./347 दिनांक—14.06.2023 (संलग्न)।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक—450/12—1 दिनांक—21.07.2023 द्वारा शर्तो/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक—1883/4सी0 दिनांक—19.07.2025 द्वारा सैद्धान्तिक शर्तो की बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैः—

क0 सं0	शर्तें	अनुपालन
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिती नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
03	प्रतिपूरक वनीकरणः क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 24.66 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बबियाड़ खसरा सं0 3007, 4061 तथा 4062 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजाति की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन किया जाएगा।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideling para 2-4(i) अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है,	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन में जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 13/12—ज्येड0ए0सी0/2024—25 दिनांक—29.05.2025 के क्रम में उक्त नम्बरानों मध्य कुल 24.660है0 भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा ग्राम बबियाड़, पट्टी—बबियाड़ में क्षतिपूरक

	को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। घ) प्रतियावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र तथा डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्थल पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वृक्षारोपण हेतु आदेश पारित किया गया है। आदेश संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण से अवगत कराया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेंगी।
04	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1,10,67,186.00 (रू0 एक करोड़ दस लाख सड़सठ हजार एक सौ छियासी मात्र) एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 1,77,14,141.00 की धनराशि अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,48,38,563.00 (रू0 दो करोड अडाचालीस लाख अड़तीस हजार पॉच सौ तिरेसठ मात्र) चालान के आवेदन संख्या 6129571381 द्वारा खाता सं0 150896129571381 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0996335, के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। पत्र संलग्न है।
05	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 ए 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, एवं 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5–3/2011–एफ.सी.(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 12.33 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी। **ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि को हो, जो अंतिम रूप देने बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में एन0पी0वी0 हेतु रू0 1,77,14,141.00 की धनराशि चालान के आवेदन संख्या 6129571381 द्वारा खाता सं0 150896129571381 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0996335, के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। पत्र संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक शपथ–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

	अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	
06	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर रखेगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है0 189 वृक्षों एवं 257 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन किया जायेगा।
07	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक, वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
08	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा जो वनभूमि प्रस्ताव में संलग्न है।
09	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि किसी भी प्रकार की वन लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग न करके सिर्फ वैकल्पिक ईंधन उपयोग किया जान सुनिश्चित किया जायेगा।
13	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/backward bearings अंकित होगें।	उक्त बिन्दु का अनुपालन दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि कर उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवें का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रू॰ से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तानरण क्षेत्र को स्थित एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलुवें का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों के कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:/ /parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

(2)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 2877
फाइल नं० 4C
दिनांक 01-12-25
नि०ख० लो०नि०वि० हल्द्वानी (नैनीताल)

	न गिरे। किसी भी प्रकार से मलुवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	
24	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:/ /parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 2816 /12–1 दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।

R/N. 2877/4C Dt 01-12-25
अभि० सहा० अभि० II

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी
Office of The Executive Engineer, C.D., P.W.D, Haldwani
Phone/Fax : 05946-223352 E-mail- ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक– 1883 /4 सी0 दिनांक– 19/07/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषय :– **जनपद नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री संख्या 310/2013 केअन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।(On line. FP/UK/ROAD/29571/2017)**

संदर्भ :– **भारत सरकार का पत्रांक 8 बी0/यू0सी0पी0/06/105/2020/एफ0सी0/347 दिनॉक 14.06.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।:–

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क)– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 24.66 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बबियाड़ खसरा सं0–3007, 4061 तथा 4062 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजाति की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
	3 (ख) – गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideling para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के	जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश संख्या 13/12–ज्येड0ए0सी0/2024–25, दिनॉक 29.05.2025 के क्रम में उक्त खसरा नम्बरानों मध्य कुल 24.660 है0 भूमि को वन विभाग, नैनीताल कें नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा ग्राम बबियाड़, पट्टी–बबियाड़ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आदेश पारित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
हल्द्वानी (नैनीताल)

	स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	आदेश संलग्न है।
	3 (ग) – वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	3 (घ) – प्रतियावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र तथा डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्थल पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वन विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1,10,67,186.00 (रू0 एक करोड़ दस लाख सड़सठ हजार एक सौ छियासी मात्र) एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 1,77,14,141.00 की धनराशि अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,48,38,563.00 (रू0 दो करोड़ अड़ाचालीस लाख अड़तीस हजार पॉच सौ तिरेसठ मात्र) चालान के आवेदन संख्या 6129571381 द्वारा खाता सं0 150896129571381 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0996335, के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। पत्र संलग्न है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क)– इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) सख्या 202/1995 में IA नंबर 556, दिनॉक 30.10.2002, 01.08.2003ए 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मं.त्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 PT (2) दिनॉक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनॉक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनॉक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशों अनुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 12.33 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में एन0पी0वी0 हेतु रू0 1,77,14,141.00 की धनराशि चालान के आवेदन संख्या 6129571381 द्वारा खाता सं0 150896129571381 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0996335, के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। पत्र संलग्न है।
	(ख)– विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 वृक्षो एवं 257 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन विभाग द्वारा अपेक्षित है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएगें।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	पत्र संलग्न है।
9	पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम) 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभियकरण, पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग द्वारा अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत्र से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	
13	संबंधित वन अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियेाजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित होगें।	
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	
17	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0, दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवें का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलुवें का यथा स्थान रखने	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों के कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल(https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलुवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है तथा मलुवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल(https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

(इं0 प्रत्यूष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी
दिनांक– 19/07/2025

पत्रांक–1883 /4 सी0

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फारेस्ट कालौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

19/07/25
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी

संलग्नक–1

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री संख्या 310/2013 केअन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।(On line. FP/UK/ROAD/29571/2017)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी

संलग्नक–2

आदेश

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्याः 1231/4सी०, दिनाँकः 02–05–2024 से जनपद–नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्याः 310/2013 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, लालकुआँ (नैनीताल) के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवम् रूपान्तरित कर नामान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्याः 483/12–ज्येड०ए०सी०/2023–2024, दिनाँकः 05–06–2024 से उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्याः 1231/4सी०, दिनाँकः 02–05–2024 को संलग्न कर प्रेषित करते हुए चयनित भूमि का प्रस्ताव मय खसरा एवम् नक्शा 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तदक्रम में उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) ने अपने पत्र संख्याः 120/र०का०/2024, दिनाँकः 23–07–2024 से अवगत कराया गया है कि ग्राम–बबियाड़, पट्टी–बबियाड़, तहसील, धारी (नैनीताल) के नॉन ज्येड०ए० खसरा नम्बरः 3007, 4061, 4062 मध्ये 24.660 हे० भूमि का प्रस्ताव पूर्व में कार्यालय तहसीलदार, धारी (नैनीताल) के पत्र संख्याः 379/र०का०/क्ष०पू०वृ०रो०/2015–16, दिनाँकः 24–08–2015 के द्वारा तैयार कर प्रेषित किया गया है। पूर्व में प्रेषित मूल प्रस्ताव के अनुसार चयनित खसरा नम्बर ग्राम–बबियाड़, पट्टी–बबियाड़, के नॉन ज्येड०ए० श्रेणी–9(3)ङ के खतौनी खाता संख्याः 48 के खेत नम्बरः 3007 के मध्ये रकबा 3.960 हे०, खेत नम्बरः 4061 मध्ये रकबा 13.000 हे० एवम् खेत नम्बरः 4062 मध्ये रकबा 7.700 हे० इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरानों मध्ये कुल 24.660 हे० भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः ग्राम–बबियाड़, पट्टी–बबियाड़, के नॉन ज्येड०ए० श्रेणी–9(3)ङ के खतौनी खाता संख्याः 48 के खेत नम्बरः 3007 के मध्ये रकबा 3.960 हे०, खेत नम्बरः 4061 मध्ये रकबा 13.000 हे० एवम् खेत नम्बरः 4062 मध्ये रकबा 7.700 हे० इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरानों मध्ये कुल 24.660 हे० भूमि वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने हेतु आख्या मय पूर्व प्रस्ताव एवम् खतौनी, खसरा न नक्शा प्रति सत्यापित कर प्रेषित है।

इस कार्यालय के पत्र संख्याः 483(2)/12–ज्येड०ए०सी०/2023, दिनाँकः 13–08–2024 से अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) को जनपद–नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्याः 310/2013 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, लालकुआँ (नैनीताल) के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, के सम्बन्ध मे सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) को निर्देशित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) ने अपने पत्र संख्याः 1340/4सी०, दिनाँकः 21–05–2025 से अवगत कराया गया है कि परियोजना को पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्याः 8बी०/यू०सी०पी०/06/105/2020/एफ०सी०/347, दिनाँकः 14–06–2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में परियोजना हेतु ग्राम पंचायत, बबियाड़ के खसरा नम्बरः 3007, 4061 तथा 4062 में आवंटित 24.660 हे० सिविल सोयम भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवम् रूपान्तरित कर नामान्तरण करने का अनुरोध किया गया है, ताकि अनुपालन आख्या शीघ्र नोडल अधिकारी को प्रेषित की जा सके।

उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) के पत्र संख्याः 120/र०का०/2024, दिनाँकः 23–07–2024 से उपलब्ध करवायी गई आख्या एवम् वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 111/XXVII/II/2012-18(120), दिनाँकः 09–07–2012, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 260/वि०अनु०–3/2002, दिनाँकः 15–02–2002, शासनादेश संख्याः 2173/XXVII(7)50(39)-2015, दिनाँकः 17–12–2012 एवम् राजस्व विभाग के शासनादेश संख्याः 1887/XVIII(II)/2015, दिनाँकः 30–07–2015 के आलोक में ग्राम–बबियाड़, पट्टी–बबियाड़, के नॉन ज्येड०ए० श्रेणी–9(3)ङ के खतौनी खाता संख्याः 48 के खेत नम्बरः 3007 के मध्ये रक़बा 3.960 हे०, खेत नम्बरः 4061 मध्ये रक़बा 13.000 हे० एवम् खेत नम्बरः 4062 मध्ये रक़बा 7.700 हे० इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरानों मध्ये कुल 24.660 हे० भूमि वन विभाग, नैनीताल के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल)/तहसीलदार, धारी (नैनीताल) तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति याचक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

1. उक्त हस्तान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य करने से पूर्व विभाग द्वारा नियमानुसार सक्षम स्तर से वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
2. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
3. हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अनुमोदित एवम् स्वीकृत कार्य के लिए विहित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना होगा।
4. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु राजस्व विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. हस्तान्तरित भूमि से लगी हुई राज्य सरकार की अन्य किसी भी भूमि में किसी भी प्रकार का कोई खुर्द–बुर्द नहीं किया जाएगा।
6. यदि विभाग को भूमि की आवश्यकता न हो तो या 03 वर्ष तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह पुनः मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जाएगी।
7. हस्तान्तरित भूमि का किसी संस्था/विभाग को बिना राजस्व विभाग के पूर्वानुमोदन के आवंटन अमान्य होगा, अपितु सम्बन्धित विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में उपलब्ध भूमि को पुनः राजस्व विभाग को समर्पित करना होगा। राजस्व विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता होने की दशा में वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. हस्तान्तरित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। निर्माण कार्य करते समय वन सम्पदा को सुरक्षित रखने का दायित्व सम्बन्धित याचक विभाग का होगा। निर्माण कार्य के दौरान वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
9. प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरित के पूर्व जमींदारी विनाश एवम् भू–सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–132 के समकक्ष एवम् अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्याः 1132/2011 (एस.एल.पी.)/(सी.) संख्या 3109/2011, श्री जगपाल सिंह एवम् अन्य बनाम् पंजाब राज्यादि में मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. हस्तान्तरित की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्याः 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

दिनाँकः 27–05–2025

ह./
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्र संख्याः 13 /12–ज्येड.ए.सी./2024–2025, दिनाँकः 29 मई, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राजस्व अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त एवम् सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, धारी/तहसीलदार, धारी (नैनीताल) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को भू–अभिलेखों में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

29/5/25

(फिंचा राम चौहान),
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व),
नैनीताल।

29/5

संलग्नक-3

कार्यालय– नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1051 / 12-1 देहरादूनः दिनांकः 2-12 नवम्बर, 2025 दिसम्बर

क्रमांक सं० 129
पत्रावली सं० 6C
दिनांक 9-1-26

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :– जनपद– नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–310/2023 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/29571/2017)

संदर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक–1370/12–1 दिनांक 25.10.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्र–1370/12–1 दिनांक 25.10.2025 द्वारा प्राप्त प्रकरण में दिनांक–14.06.2023 को प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में चयनित क्षतिपूरक वनीकरण की भूमि जिसका नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है, की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है:

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि (है0)	चयनित भूमि जिसका हस्तान्तरण किया जा चुका है (है0)	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जाने वाली भूमि (है0)
FP/UK/ROAD/29571/2017	हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग।	14.06.2023	12.33	24.66	24.66

अतः उपरोक्तानुसार जनपद– नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–310/2023 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत बाईपास से हल्दूचौड इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी के आलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसे संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या–1051 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी, नैनीताल।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संलग्नक-4
49

[44१]-43

परियोजना का नामः— मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0310/2013 के अर्न्तगत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुऑं के अर्न्तगत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड इण्डियन आयल डिपों तक मार्ग का निर्माण ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0310/2013 के अर्न्तगत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुऑं के अर्न्तगत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड इण्डियन आयल डिपों तक मार्ग का निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों हेतु दोगुने क्षेत्र 24.660 हैक्टेअर** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित वन पंचायत बबियाड/ग्राम बबियाड तहसील धारी, जनपद नैनीताल के नोन0ज्येड0ए0 खाता न0 47 के खसरा न0 4203 म0 **4.0** है0 खाता न0 48 के खसरा न0 4061 म0 **13.00** है0, व खसरा न0 4062 म0 **7.700** है0 स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

वन क्षेत्राधिकारी
बड़ौन व. क्षेत्र हैड़ाखान
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

संलग्नक-5

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-07-2025

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER CD PWD HALDWANI
Application No.	6129571381
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, P.W.D., Tikonia, HaldwaniNainital
Amount(in Rs)	24838563/-

Amount In Words :Two Crore Forty-Eight Lakh Thirty-Eight Thousand Five Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896129571381 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-07-2025

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER CD PWD HALDWANI
Application No.	6129571381
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, P.W.D., Tikonia, Haldwani Nainital
Amount(in Rs)	24838563/-

Amount In Words :Two Crore Forty-Eight Lakh Thirty-Eight Thousand Five Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896129571381 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

संलग्नक-6

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-07-2025

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER CD PWD HALDWANI
Application No.	6129571381
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, P.W.D., Tikonia, HaldwaniNainital
Amount(In Rs)	24838563/-

Amount In Words :Two Crore Forty-Eight Lakh Thirty-Eight Thousand Five Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896129571381 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-07-2025

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER CD PWD HALDWANI
Application No.	6129571381
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, P.W.D., Tikonia, Haldwani Nainital
Amount(in Rs)	24838563/-

Amount In Words :Two Crore Forty-Eight Lakh Thirty-Eight Thousand Five Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896129571381 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

संलग्नक–7

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री संख्या 310/2013 केअन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (On line. FP/UK/ROAD/29571/2017)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, लो०नि०वि० द्वारा दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी